कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) 490023
फोन नं – 0788–2350125, ई–मेल : Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क्र./एफ–166/स्टे.आयु./2025/3850 भिलाई, दिनांक 15/5/25

// आदेश //

यह देखा जा रहा है कि मैदानी अमले के अधिकारियों द्वारा प्रातः कालीन भ्रमण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण नगर पालिक निगम भिलाई में प्रचलित निर्माण कार्य, नालियों की साफ–सफाई, उद्यान की साफ–सफाई एवं रख–रखाव, निदान 1100 में प्राप्त शिकायतों का निराकरण यथासमय नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण के अभाव में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रहा है एवं निदान 1100 में शिकायत बहुतायत संख्या में लंबित है।

अतएव सर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे –

1. निर्माण कार्य की गुणवत्ता आइ.एस. कोड/मैन्युअल में प्रावधानित मानक अनुसार एजेंसी द्वारा कार्य मौका स्थल पर कराया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए तकनीकी संबंधित अधिकारी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता द्वारा कार्य प्रगति स्थल का मौका निरीक्षण/पर्यवेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ताकि प्रगतिरत् कार्यो की गुणवत्ता मानक अनुसार हो। निर्माण संबंधित कार्य गुणवत्ताहीन होने की स्थिति में संबंधित अभियंता/अधिकारी की जवाबदेही होगी।

2. साफ–सफाई संबंधित समस्त कार्य का निरीक्षण/पर्यवेक्षण संबंधित जोन आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियमित रूप से किया जावे।

3. निदान 1100 माध्यम से प्राप्त स्ट्रीट लाइट, साफ–सफाई, पेयजल एवं अन्य शिकायतों का भी निराकरण कराने की जिम्मेदारी संबंधित जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता की होगी। जोन आयुक्त सतत् समीक्षा कर संबंधितों से निराकरण कराने के पश्चात निदान 1100 पोर्टल में विलोपित कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी जिसकी समीक्षा संबंधित जोन के जोन आयुक्त द्वारा साप्ताहिक समीक्षा किया जाये।

4. सडकों के किनारे यातायात में बाधित होने वाले ऐसे ठेले या पसरा या बिना अनुमति के अन्य अतिक्रमण जो यातायात में बाधक हो उनको हटाने की कार्यवाही या जुर्माना शुल्क लगाने की कार्यवाही नियमित रूप से किये जाने की कार्यवाही नोडल अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी/जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं इस कार्य में लगे संबंधित कर्मचारी की होगी।

5. सभी जोन/वार्ड क्षेत्र में पेयजल वितरण पाईप लाईन लिंकेज का चिन्हांकन जोन के जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी/सुपरवाईजर द्वारा किये जायेंगे। लिकेज का संधारण शीघ्रता से संबंधित जोन के सहायक अभियंता/ वार्ड प्रभारी उप अभियंता द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. सभी मैदानी अमले अधिकारी/कर्मचारी प्रातः कालीन क्षेत्र का भ्रमण निरीक्षण का भिलाई एक्टिविटी ग्रुप में जियोटैग फोटोग्राफ शेयर करेंगे एवं गुगलशीट को अपडेट करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र. / एफ–166 / स्टे.आयु. / 2025 / 3859 भिलाई, दिनांक 15/5/25

प्रतिलिपि :–

1. महापौर / सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त / कार्यपालन अभियंता जोन–1,2,3,4 व 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. सहायक अभियंता, जोन–1,2,3,4 व 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर विभाग, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम की वेबसाईट में आदेश फाईल में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. वार्ड प्रभारी उप अभियंता जोन–1,2,3,4 व 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सर्व जोन सहायक राजस्व अधिकारी / सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
11. सर्व संबंधित .... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई